

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 10/2111 आवेदन सं० 148 मूल्यांकन सं० 839/20
 चूक श्री Smt. Kamle Sinha and Smt. Sangita Sinha

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविबरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2008 से ता० 31/12/2008 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः अवभार

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	M 8428	Phulwari Sharif						
	T 5440	16820						
	Therwar	- 35						
	Plot no.	658, 659, 660, 661, 664, 665						
	1 Chatsan	858, 847, 906						
	Ares	131.25 decimal						

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बरातों की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
में यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारणों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Shree*
(पदनाम): *Chello*

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *Patel*
(पदनाम): *USE*
कार्यालय: *Patel*
तारीख: *19/4/22*



मुहर एवं निबंधन प्रदाधिकारी का हस्ताक्षर
19/4/22
आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार किये गये हैं। यदि
आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों
से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारणों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारणों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारणों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक *Patel*

ज्ञाप संख्या *536*

आवेदक श्री *Smt. Kamla Sinha and Smt. Sangita Sinha*

का ऋणधार प्रमाण-पत्र द्वारा *Area manager UPPA Patna*

दिनांक *19/4/22*

Patel

का उनके पत्र संख्या *R*

दिनांक *19/4/22*

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन प्रदाधिकारी

Patel

19/4/22